



# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

## महत्वपूर्ण सूचना

सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी/गुरुकुल /विद्यापीठ परीक्षा शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों से सम्बद्धता आवेदन फार्म व शुल्क ऑनलाईन Gateway Payment के माध्यम से लिया जाना है। जिसके लिए सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क 2000/-रुपयें तथा नई सम्बद्धता/अपग्रेड हेतु 20,000/-रुपयें व गुरुकुल/विद्यापीठों से निरन्तरता फीस 8000/-रुपयें जमा करवाये जाने हैं। सम्बद्धता शुल्क HDFC बैंक द्वारा Gateway Payment के माध्यम से ऑनलाईन लिया जाना है। राजकीय विद्यालयों द्वारा सम्बद्धता फार्म के अनुसार Document upload करने अति आवश्यक है। राजकीय विद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं करवाया जाना है। अगर राजकीय/अराजकीय/गुरुकुल/विद्यापीठ निर्धारित तिथि अनुसार सम्बद्धता शुल्क/Document upload नहीं करते हैं तो उन विद्यालयों/गुरुकुल/विद्यापीठों को विलम्ब शुल्क सहित Document Upload करने होंगे। राजकीय विद्यालय एवं अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय/गुरुकुल/विद्यापीठ के सम्बद्धता हेतु फार्म ऑनलाईन भरने की तिथियां निम्न प्रकार से है:-

बिना विलम्ब शुल्क	दिनांक 12.09.2024 से 26.09.2024 तक
विलम्ब शुल्क 5000/-रुपयें सहित	दिनांक 27.09.2024 से 10.10.2024 तक

सम्बद्धता आवेदन-फार्म व शुल्क ऑनलाईन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट [www.bseh.org.in](http://www.bseh.org.in) पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भरा जाना है, सम्बद्धता आवेदन-फार्म व शुल्क केवल ऑनलाईन माध्यम से लिया जाना है। ऑनलाईन सम्बद्धता फार्म के अनुसार Document upload किये जाने हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए दूरभाष नं0 01664-254300 या बोर्ड कार्यालय की सम्बद्धता शाखा के दूरभाष नं0 01664-244171 से 176 Ext. 111 पर किसी भी कार्यदिवस में 09:00AM से 05:00PM तक सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्बद्धता शाखा की मेल [asaffi@bseh.org.in](mailto:asaffi@bseh.org.in) पर ई0मेल भेजी जा सकती है।

  
11/09/24  
सहायक सचिव (सम्बद्धता)